न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 5/2019

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थीगण–**
अन्नाराम पुत्र नैनाराम जाति जाट निवासी कालानाडा झाख तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. सरपंच ग्राम पंचायत झाख तहसील बायतु जिला बाड़मेर 2. गोरधनराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी कालानाडा झाख तहसील बायतु जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 23 दिनांक 11.01.1981 जो सरपंच ग्राम पंचायत झाख द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री श्रवण कुमार चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 30.03.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र सरपंच ग्राम पंचायत झाख की ओर से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 गोरधनराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी झाख के पक्ष में सरपंच ग्राम पंचायत झाख द्वारा राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम 1961 के [illegible] भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 23 दिनांक 11.01.1981 [illegible] जा[illegible] किया गया। प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.02.2019 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:53:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं ग्राम पंचायत झाख से आलौच्य पट्टा विलेख से संबंधित अभिलेख तलब किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे की भूमि मौजा झाख की आबादी भूमि में रतेउ जाने वाली आम डामर रोड पर आई हुई है। उक्त भूखण्ड नाप में दक्षिण भुजा 60 फीट, उत्तर की भुजा 36 फीट व पूर्व–पश्चिम की भुजा 80 फीट है जिसके उत्तर दिशा में गली व आगे नाथू लोहार का प्लॉट, दक्षिण दिशा में ग्राम पंचायत की रोड, पूर्व–पश्चिम दिशा में ग्राम पंचायत की खाली जमीन आई हुई है। प्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर पिछले 50 वर्षों से कब्जा एवं परिवार सहित रहवास है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड में रहने के लिए कमरा, टांका व चारदिवारी का निर्माण किया गया है। अभी हाल ही में अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने साथियों की गैंग के साथ आकर प्रार्थी को कब्जे से बेदखल करने की धमकी दी तथा कहा कि उक्त भूखण्ड से मारपीट कर बेदखल कर देंगे। अप्रार्थी संख्या 2 ने इस भूखण्ड का पट्टा संख्या 23 अपने पक्ष में जारी होना बताया। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने निजी लाभ के लिए तथा प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अपने पिता भेराराम के सरपंच होने का फायदा उठाकर बिना कोई विधिक प्रोसिडिंग अपनाए आलौच्य पट्टा फर्जी एवं कूट रचना कर बनाया है जो निरस्त योग्य है।

5. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि आलौच्य पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा कोई पत्रावली कायम नहीं की और न ही पट्टे में उल्लेखित पड़ौस विवादित स्थल से मेल खाते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यालय में आलौच्य पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रतिलिपि चाहे जाने पर ग्राम सचिव द्वारा लिखित में अवगत करवाया गया है कि पट्टा संख्या 23 गोरधनराम पुत्र भेराराम के नाम से जारी नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीका[illegible] जाकर ग्राम पंचायत झाख की ओर से जारी आलौ[illegible] 11.01.1981 को प्रभावहीन व शून्य घोषित करते हुए निरस्त [illegible] जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। अप्रार्थी संख्या 2 गोरधनराम पुत्र भेराराम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:53:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

नाम से आलौच्य पट्टा संख्या 23 दिनांक 11.01.1981 को जारी किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी के कथन अनुसार उक्त पट्टा तत्कालीन सरपंच भेराराम द्वारा अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 के नाम बिना किसी पंचायत कार्यवाही व पत्रावली संधारण के जारी किया गया है। इस न्यायालय द्वारा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत झाख से आलौच्य पट्टा से संबंधित मिसल व बैठक कार्यवाही रजिस्टर तलब किए जाने पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 218 दिनांक 17.10.2020 के द्वारा अवगत कराया है कि पट्टा संख्या 23 दिनांक 11.01.1981 गोरधनराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी कालानाडा ग्राम पंचायत झाख के पक्ष में इस कार्यालय से कभी जारी नहीं किया गया है। दिनांक 28.09.2019 को इसी भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु गुमनीदेवी पत्नी गोरधनराम के नाम से आवेदन किया गया है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई पट्टा या दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है तो वह दस्तावेज कार्यालय ग्राम पंचायत झाख द्वारा जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर यह स्पष्ट होता है कि आलौच्य पट्टा विलेख ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया जाकर तत्कालीन सरपंच द्वारा व्यक्तिगत रूप से जारी किया गया है जो कतई विधिसम्मत नहीं है। लिहाजा निगरानी प्रार्थना–पत्र के अधीन आलौच्य पट्टा विलेख राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत अपूर्णता, अनियमितता एवं अवैधता के पहलू पर खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत झाख द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 गोरधनराम के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 23 दिनांक 11.01.1981 अपास्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:53:43 IST
Reason: SelfAttested